G2G

माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुवाँरका, सहारनपुर, उ0प्र0, पिन–247120)

Website-msuniversity.ac.in

Email ID – nss@msuniversity.ac.in

पत्रांक : 117 / एन0एस0एस0 / एम.एस.यू. / 2023–24

दिनांक 08 / 02 / 2024

By-Email

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय / संस्थान
राष्ट्रीय सेवा योजना,
माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर।

विषयः–प्रत्येक जनपद में ''जिला सड़क सुरक्षा समिति'' के माध्यम से जीरो फैटेलिटी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मॉडल सेफ रोड़ से जुड़ने वाले आबादी क्षेत्रों–विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में आम–जनमानस को यातायात नियमों / संकेतकों के प्रति जागरूक किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा (राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक) विभाग, लखनऊ के पत्रांक सं0–57 / सत्तर–रा.से.यो.को–2024 दिनांक 06.02.2024 के संलग्न पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि समस्त महाविद्यलय / संस्थान जिनमें रोड़ सेफ्टी क्लब संचालित है, वें महाविद्यालय तथा रा0से0यो0 से सम्बन्धित महाविद्यालय / संस्थान संलग्न पत्र में दिये गये दिशानिर्देशानुसार कार्यवाही कराते हुए सम्बन्धित आख्या कार्यालय ई–मेल nss@msuniversity.ac.in पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 भूपेन्द्र कुमार)
कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय सेवा योजना

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. कुलपति कार्यालय को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. कुलसचिव कार्यालय को कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
3. श्री ए0एस0 कवीर, क्षेत्रीय निदेशक, रा0से0यो0, अलीगंज लखनऊ।
4. डा0 मंजू सिंह, विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी, रा0से0यो0 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. गार्ड फाईल।

कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय सेवा योजना

N88/60
08/2/24

संख्या–57 / सत्तर–रा0से0यो0को0–2024

प्रेषक,

डॉ0 मंजू सिंह,
विशेष कार्याधिकारी एवं
राज्य सम्पर्क अधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– कार्यक्रम समन्वयक,
एन0एस0एस0 से सम्बन्धित समस्त विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

2– उप शिक्षा निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, एन0एस0एस0 से सम्बन्धित समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा (राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक) विभाग **लखनऊः दिनांक 06 फरवरी, 2024**

विषयः– प्रत्येक जनपद में "जिला सड़क सुरक्षा समिति" के माध्यम से जीरो फैटेलिटी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मॉडल सेफ रोड से जुड़ने वाले आबादी क्षेत्रों–विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में आम–जनमानस को यातायात नियमों / संकेतकों के प्रति जागरूक किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3 के पत्र सख्या–157 / सत्तर–3 / 2024 दिनांक 02.02.2024 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य के **प्रत्येक जनपद में "जिला सड़क सुरक्षा समिति" के माध्यम से जीरो फैटेलिटी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु** मॉडल सेफ रोड बनाये जाने के सम्बन्ध मे कार्यकम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बन्धित समस्त विश्वविद्यालय, एवं उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा एनएसएस से सम्बन्धित समस्त मण्डल उत्तर प्रदेश द्वारा मॉडल सेफ रोड से जुड़ने वाले आबादी क्षेत्रों–विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में आम–जनमानस को यातायात नियमों / संकेतकों के प्रति जागरूक किये जाने हेतु हेल्मेट / सीटबेल्ट, रांग साइड ड्राइविग, ओवरस्पीडिग आदि के सम्बन्ध में राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवको के माध्यम से एवं विद्यालय / महाविद्यालयों मे गठित रोड सेफ्टी क्लबों द्वारा जागरूकता अभियान चलाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

2– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यक्रम समन्वयक, एन0एस0एस0 से सम्बन्धित समस्त विश्वविद्यालय एवं उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा एनएसएस से सम्बन्धित समस्त मण्डल उत्तर प्रदेश द्वारा **प्रत्येक जनपद में "जिला सड़क सुरक्षा समिति" के माध्यम से जीरो फैटेलिटी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु** मॉडल सेफ रोड से जुड़ने वाले आबादी क्षेत्रों–विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में आम–जनमानस को यातायात नियमों / सकेतकों के प्रति जागरूक किये जाने हेतु हेल्मेट / सीटबेल्ट, रांग साइड ड्राइविग, ओवरस्पीडिंग आदि के सम्बन्ध में राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवकों के माध्यम से एवं विद्यालय / महाविद्यालयों में गठित रोड सेफ्टी क्लबों द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जाये तथा बैनर, होर्डिंग, वॉल पेटिंग आदि माध्यमों से प्रचार–प्रसार कराया जाये। उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कराते हुए अनुपालन आख्या समयान्तर्गत शासन के ई–मेल upsno.luck@gmail.com पर प्रेषित करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,
(डॉ0 मंजू सिंह)
विशेष कार्याधिकारी एवं
राज्य सम्पर्क अधिकारी।

संख्या–57 (1) / सत्तर–रा0से0यो0को0–2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निजी सचिव, प्रमुख सचिव को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
2– निजी सचिव, विशेष सचिव को विशेष सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3– निदेशक, भारत सरकार, राष्ट्रीय सेवा योजना निदेशालय, नई दिल्ली।
4– निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग उ0प्र0 प्रयागराज।
5– क्षेत्रीय निदेशक, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, रा0से0यो0, क्षेत्रीय निदेशालय, हाल नं0–1, आठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर–एच0, अलीगंज, लखनऊ।

आज्ञा से,
(डॉ0 मंजू सिंह)
विशेष कार्याधिकारी एवं
राज्य सम्पर्क अधिकारी।

महत्वपूर्ण / समयबद्ध
संख्या–157 / सत्तर–3–2024

प्रेषक,

डॉ0 अखिलेश कुमार मिश्रा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0
प्रयागराज।

2. कुलसचिव,
समस्त राज्य / निजी विश्वविद्यालय
उ0प्र0।

3. विशेष कार्याधिकारी,
राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 02 फरवरी, 2024

विषय : प्रत्येक जनपद में "जिला सड़क सुरक्षा समिति" के माध्यम से जीरो फैटेलिटी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मॉडल सेफ रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–3549 / तीस–3–2023 दिनांक 16.01.2024 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही कराते हुए इसकी अनुपालन आख्या शासन को समयान्तर्गत उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,
2/1/24
(डॉ0 अखिलेश कुमार मिश्रा)
विशेष सचिव।

02/02/2024
(डॉ0 मंजू सिंह)
विशेष कार्याधिकारी एवं
राज्य सम्पर्क अधिकारी
राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक
उच्च शिक्षा विभाग
उ0प्र0 शासन

File No.30-3099/83/2021- -3-

472462/2024

प्रमुख सचिव कार्यालय में
प्राप्त दिनांक/18.1.24

संख्या—157/...2024

महत्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता
संख्या-3549/तीस-3-2023

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या 3847/NIPPSHED/2023

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला सड़क सुरक्षा समिति, उ0प्र0।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 16 जनवरी, 2024

विषय प्रत्येक जनपद में "जिला सड़क सुरक्षा समिति" के माध्यम से जीरो फ़ैटेलिटी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मॉडल सेफ रोड बनाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि "जिला सड़क सुरक्षा समिति" जनपद में सड़क सुरक्षा से संबंधित किसी भी विषय पर गहन विचार-विमर्श के माध्यम से विश्लेषणोपरान्त त्वरित निराकरण हेतु निर्णय लेकर क्रियान्वयित किये जाने का एक सशक्त माध्यम है। शासनादेश संख्या-98/2023/2005/तीस-3-2023, दिनांक 26 जुलाई, 2023 द्वारा "जिला सड़क सुरक्षा समिति" के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु बैठक के एजेण्डा बिन्दु एवं कार्यवृत्त में एकरूपता लाये के प्रयोजनार्थ मानक संचालन प्रक्रिया (एस0ओ0पी0) दिनांक निर्गत की गयी है, परन्तु अधिकतर जनपदों द्वारा इसका पूर्ण अनुपालन नहीं किया जा रहा है। आगामी वर्ष 2024 से एस0ओ0पी0 के आधार पर प्रत्येक "जिला सड़क सुरक्षा समिति" की प्रत्येक माह बैठकों का आयोजन किया जाना अनिवार्य है।

2. उल्लेखनीय है कि प्रदेश में सड़क दुर्घटना मृत्यु में 50 प्रतिशत की कमी लाये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, परन्तु पिछले वर्ष (2022) की तुलना में इस वर्ष सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या में वृद्धि हुई है, जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। इससे स्पष्ट है कि 50 प्रतिशत की कमी के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किये जा रहे प्रयासों के साथ ही अतिरिक्त विशेष प्रयासों की आवश्यकता है।

N- 4660/v(A)/18/24

ज्ञातव्य है कि प्रदेश में लगभग 40 प्रतिशत एन0एच0 पर एवं लगभग 30 प्रतिशत एस0एच0 पर घटित सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु होती हैं, जिसके दृष्टिगत यह आवश्यक है कि समस्त जिला सड़क सुरक्षा समिति द्वारा प्रथम चरण में अपने-अपने जनपद की सीमान्तर्गत पिछले 03 वर्षों में घटित सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या के आधार पर सर्वाधिक दुर्घटना मृत्यु वाले एक एन0एच0 तथा एक एस0एच0 को मॉडल सेफ रोड के रूप में चयनित किया जाए, जिसका उद्देश्य इन मार्गों पर जीरो फैटिलिटी के लक्ष्य को प्राप्त किया जाना हो। मॉडल सेफ रोड में जिला सड़क सुरक्षा समिति के माध्यम से 4-E (Engineering, Enforcement, Education and Emergency Care) के अंतर्गत आने वाले समस्त स्टेक होल्डर विभागों द्वारा समयबद्ध रूप से निम्नानुसार कार्यवाही अपेक्षित है:

(1) जनपद की सीमान्तर्गत एन0एच0ए0आई0 तथा लोक निर्माण विभाग के अधीन चयनित मॉडल सेफ रोड पर रोड सेफ्टी ऑडिट की कार्यवाही समिति के अनुमोदनोपरान्त प्रतिष्ठित संस्थाओं जैसे- आई0आई0टी0/सी0आर0आर0आई0 या अन्य अनुभवी प्रतिष्ठित सर्टिफाइड संस्था (सरकारी/गैर

उत0 ...

2462/2024

सरकारी) द्वारा रोड इंजीनियरिंग के साथ-साथ प्रवर्तन, ट्रामा केयर तथा जन-जागरूकता से संबंधित समस्त बिन्दुओं (4-E) को सम्मिलित करते हुए करायी जाए।

(2) ऑडिट की कार्यवाही के उपरान्त ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त कर उसमें दिये गये सुझावों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एक विस्तृत कार्ययोजना समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। कार्ययोजना के क्रियान्वयन के बजटीय प्राविधान हेतु संबंधित विभाग के अपने विभागीय बजट के द्वारा प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जाए, अपरिहार्य परिस्थितियों में समिति के अनुमोदनोपरान्त कार्ययोजना के बजटीय प्राविधान को सड़क सुरक्षा कोष में सम्मिलित कराने हेतु प्रस्ताव परिवहन विभाग को प्रेषित किया जाए।

(3) कार्ययोजना की समयबद्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु उसमें उल्लिखित कार्यों को अल्पकालिक (01 वर्ष के अन्दर पूर्ण होने वाले कार्य) तथा दीर्घकालिक (01 वर्ष से अधिक समय में पूर्ण होने वाले कार्य) कार्यों के रूप में वर्गीकृत करते हुए कार्यों के पूर्ण किये जाने के लक्ष्य का निर्धारण किया जाए।

(4) मॉडल सेफ रोड पर पुलिस व परिवहन विभाग द्वारा ओवरस्पीडिंग, ओवरलोडिंग, ड्रंकेन ड्राइविंग, रांग साइड ड्राइविंग, मोबाइल फोन का प्रयोग, हेल्मेट/सीटबेल्ट न लगाने के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन की कार्यवाही नियमित रूप से किये जाने हेतु कार्ययोजना बनाकर लागू किया जाए।

(5) मॉडल सेफ रोड पर अवैध रूप से खड़े वाहनों/वाहन में तकनीकी खराबी के कारण खड़े वाहनों को सुरक्षित स्थान पर भेजने हेतु मार्ग पर नियमित पेट्रोलिंग किया जाए, जिससे खड़े वाहनों में पीछे से टक्कर के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके।

(6) मॉडल सेफ रोड पर ओवरस्पीडिंग तथा ओवरलोडिंग पर अंकुश लगाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन कार्यवाही हेतु ए०एन०पी०आर०/स्पीड कैमरे तथा वे-इन-मोशन आवश्यकतानुसार स्थापित कराते हुए उनके एकीकरण की कार्यवाही ई-चालान पोर्टल से किया जाए।

(7) दुर्घटना की स्थिति में घायल व्यक्तियों के त्वरित चिकित्सा उपचार प्रदान किये जाने हेतु उक्त चयनित मार्गो पर एम्बुलेंस की अवस्थापना तथा ट्रोमा केयर की व्यवस्था के दृष्टिगत चयनित मार्गों (एन०एच०/एस०एच०) पर स्थित राजकीय चिकित्सालयों तथा एन०एच०ए०आई० के टोल प्लाजा पर स्थापित मेडिकल एड पोस्ट को दक्ष मानव संसाधन/उपकरण से सुसज्जित करते हुए 24x7 क्रियाशील किये जाने हेतु चिकित्सा विभाग/एन०एच०ए०आई० द्वारा कार्ययोजना बनाकर समिति को प्रस्तुत किया जाए। जनपदीय इण्डियन रेड क्रॉस सोसाइटी तथा इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन के सहयोग से सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को त्वरित उपचार उपलब्ध कराने में सहयता प्राप्त की जा सकती है।

(8) मॉडल सेफ रोड पर जगह-जगह पर सड़क सुरक्षा से संबंधित विषयों के प्रति आम-जनमानस को जागरूक करने हेतु बैनर, होर्डिंग, वॉल पेंटिंग आदि माध्यमों से प्रचार-प्रसार कराया जाए।

(9) मॉडल सेफ रोड से जुड़ने वाले आबादी क्षेत्रों-विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में आम-जनमानस को यातायात नियमों/संकेतकों के प्रति जागरूक किये जाने तथा, हेल्मेट/सीटबेल्ट का प्रयोग न किये जाने, रांग साइड ड्राइविंग, ओवरस्पीडिंग आदि सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन न किये जाने हेतु जागरूकता उत्पन्न किये जाने हेतु विद्यालय/महाविद्यालयों में गठित रोड सेफ्टी क्लबों/एन०जी०ओ० द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जाय।

(10) मॉडल सेफ रोड पर स्थित शासकीय/गैर शासकीय विद्यालयों/महाविद्यालयों में छात्रों/अभिभावकों/शिक्षकों की सुरक्षा हेतु सेफ स्कूल जोन बनाये जाने हेतु सड़क स्वामित्व वाले विभाग तथा शिक्षा

.62/2024

विभाग के सामंजस्य से विकसित किये जाएं।

(11)समिति द्वारा कार्ययोजना के आधार पर निर्धारित कार्यों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु मासिक रूप से आयोजित होने वाली प्रत्येक बैठक में समीक्षा की जाए तथा अनिवार्य रूप से लक्ष्य के सापेक्ष कृत कार्यवाही को बैठक के कार्यवृत्त में सम्मिलित किया जाए।

(12)जिला सड़क सुरक्षा समिति द्वारा अपने स्तर से मॉडल रोड पर जीरो फैटेलिटी के लक्ष्य को प्राप्त किये जाने हेतु जनपदीय आवश्यकताओं के आधार पर पृथक से निर्णय लेते हुए कार्यवाही की जा सकती है।

4. उपर्युक्तनुसार कार्यों को सम्पादित किये जाने हेतु यदि किसी विभाग के बजटीय प्राविधान की आवश्यकता प्रतीत होती है तो ऐसी स्थिति में प्रकरण "जिला सड़क सुरक्षा समिति" के अनुमोदनोपरान्त सड़क सुरक्षा कोष में सम्मिलित कराने हेतु प्रस्ताव परिवहन विभाग को प्रेषित किया जायेगा। विदित है कि प्रत्येक "जिला सड़क सुरक्षा समिति" को वित्तीय रूप से सुदृढ़ीकृत किये जाने हेतु रु0 5.00 लाख का आवंटन सड़क सुरक्षा कोष के माध्यम से सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन) को किया गया है।

5. अतः प्रत्येक जनपद में जीरो फैटेलिटी के लक्ष्य प्राप्ति के दृष्टिगत मॉडल रोड चयनित कर उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

भवदीय
Digitally Signed by दुर्गा शंकर मिश्र
Date: 08-01-2024 10:34:35
Reason: Approved

(दुर्गा शंकर मिश्र)
मुख्य सचिव।

संख्या-3549(1)/तीस-3-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

(1) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(6) परिवहन आयुक्त, उ0प्र0।
(7) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एल0 वेंकटेश्वर लू)
प्रमुख सचिव।